



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 23, 2008/कार्तिक 1, 1930

No. 172]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 23, 2008/KARTIKA 1, 1930

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 2008

सं. भा.आ.प.-34(41)/2008-पेडि./29543.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः—

1. इन विनियमों को "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें (संशोधन) विनियमावली, 2008" कहा जाए।
2. "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे :—
3. खण्ड 3 में क्रम संख्या (2) पर "जीव-भौतिकी सहित" शब्दों का विलोप किया जाएगा और क्रम संख्या (14) पर "बालचिकित्सा सर्जरी सहित" शब्दों का विलोप किया जाएगा।
4. (i) अनुसूची (1) में खण्ड क. 1.2 के "प्रशासनिक ब्लॉक" शीर्षक के अंतर्गत "परीक्षा हॉल (300 वर्ग मीटर)" शब्दों का विलोप किया जाएगा, "(30-30 वर्ग मीटर)" शब्दों को "(100-100 वर्ग मीटर)" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और "(40-50 वर्ग मीटर)" शब्दों को "(200 वर्ग मीटर)" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) "केन्द्रीय पुस्तकालय" शीर्षक के अंतर्गत खण्ड क. 1.4 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :
"वरियतः एक वातानुकूलित केन्द्रीय पुस्तकालय (1600 वर्ग मीटर) होगा जिसमें पढ़ने के लिए कम से कम 200 छात्रों के लिए बैठने की व्यवस्था और अच्छी प्रकाश तथा

संवातन व्यवस्था और पुस्तकें एवं जर्नलों के भंडारण तथा प्रदर्शन की व्यवस्था होगी । 100 छात्रों के लिए अंदर की तरफ एक कमरा और 100 छात्रों के लिए बाहर की तरफ एक कमरा होगा । इसमें कम से कम 7000 पाठ्य पुस्तकें और संदर्भ पुस्तकें होनी चाहिए । किसी नए मेडिकल कालेज में पुस्तकों की कुल संख्या, पांच वर्षों में वार्षिक आधार पर अनुपाततः विभाजित होनी चाहिए । स्नातक-पूर्व अध्यापन के प्रत्येक विषय पर पाठ्य पुस्तकों की प्रतियों की संख्या 10 होगी । जर्नलों की संख्या 100 होगी जिनमें से एक तिहाई विदेशी जर्नल होंगे और इन्हें निरंतर आधार पर पूर्वकीर्त किया जाएगा । जर्नलों की सदस्यता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । निम्नलिखित की व्यवस्था भी होगी:

- क. 20 व्यक्तियों के लिए स्टाफ का वाचनालय ।
- ख. पुस्तकालयाध्यक्ष और अन्य स्टाफ के लिए कमरे ।
- ग. जर्नल रूम ।
- घ. प्रति बनाने की सुविधाओं के लिए कमरा ।
- ड. वीडियो और कैसेट रूम ।
- च. न्यूनतम 25 नोड्स के साथ मेडलर और इंटरनेट की सुविधा के साथ वातानुकूलित कंप्यूटर कक्ष ।

(iii) खण्ड क.1.6 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"सभागार/परीक्षा हॉल (बहु-उद्देश्यीय):

अधिक से अधिक तीन स्तरों पर 800 वर्ग मीटर का एक सभागार-व-परीक्षा हॉल होगा ।"

(iv) खण्ड क.1.9 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

'पशुगृह :

भेषज-विज्ञान विभाग द्वारा विभागीय पशुगृह रखा जा सकता है । पशुगृह के अलावा, कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षा के माध्यम से पशुओं पर प्रायोगिक कार्य प्रदर्शित किया जा सकता है ।"

(v) खण्ड क.1.10 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

भस्मक

अस्पताल के बिस्तरों की गिनती के अनुपात में एक भस्मक संयंत्र उपलब्ध कराया जाए। विकल्पतः संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित कोई अन्य प्रणाली उपलब्ध कराई जा सकती है।

(vi) खण्ड क.1.11 का विलोप किया जाएगा।

(vii) खण्ड क.1.12 का विलोप किया जाएगा।

(viii) खण्ड क.1.18 में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:

'ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि 24 घंटे पर्यन्त उपलब्ध हो'

(ix) खण्ड क.1.18 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:

'6 प्रयोगशालाएं (प्रत्येक 150 वर्ग मीटर क्षेत्र में) होंगी जिनमें निरंतर काम करने के लिए मेजें उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रत्येक सीट के साथ स्टेनलस स्टील का वाश बेसिन उपलब्ध कराया जाएगा। काम करने की प्रत्येक मेज में ड्रावर या स्टीमप्रूफ टॉप होगा और प्रत्येक मेज पर प्रकाश व्यवस्था होगी। सभी प्रयोगशालाओं के साथ 15 वर्ग मीटर क्षेत्र का एक-एक तैयारी कक्ष उपलब्ध कराया जाएगा।

दो प्रयोगशालाएं होंगी जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्र 60 वर्ग मीटर होगा।

इनमें से प्रत्येक प्रयोगशाला का इस्तेमाल सामूहिक रूप से विभिन्न विभागों अर्थात् उच्च-विज्ञान और उच्च रोगविज्ञान, जीवसायन और नैदानिक औषध-विज्ञान, रुधिर-विज्ञान और रोग-विज्ञान, सूक्ष्मजीव-विज्ञान और साझा औषधि विभागों में किया जा सकता है।

5. (i) खण्ड ख.1.2 में 'आगंतुकों के लिए स्थान' शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:

'प्रत्येक विभाग में कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा के साथ'

(ii) खण्ड ख.1.3 में 'अस्पताल में' शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:

'मेडिकल कालेज/संस्थान में उपलब्ध के अलावा'

(iii) खण्ड ख.1.6 में 'कनिष्ठ आवासी डॉक्टरों, वरिष्ठ आवासी, डाक्टरों, रजिस्ट्रारों आदि' शब्दों को 'कनिष्ठ आवासी डाक्टरों, और वरिष्ठ आवासी डॉक्टरों आदि' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iv) खण्ड ख.1.7 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“अनुमति-पत्र के समय, स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रम के विषयों में छात्रों के प्रवेश लेने के उद्देश्य के लिए, बाह्य रोगी विभाग (ओ पी डी) में न्यूनतम उपस्थिति, 4 मरीज (पुराने और नए) प्रतिदिन प्रति छात्र इनटेक होगी। इनमें इस तरीके से वृद्धि की जानी चाहिए कि चौथे वर्ष के अंत में यह उपस्थिति 8 मरीज (पुराने और नए) प्रतिदिन प्रति छात्र इनटेक हो जाए।”

(v) खण्ड ख.1.9 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:

“ख 1.10 : डीन, चिकित्सा अधीक्षक और प्रत्येक विभाग के पास स्वतंत्र कंप्यूटर और प्रिंटर की सुविधा होगी।

ख. 1.11 : प्रत्येक कालेज/संस्थान के पास अपनी वेबसाइट होगी जिसमें प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह में अद्यतन किए गए निम्नलिखित ब्यौरे उपलब्ध कराए जाएंगे:

(क) डीन, प्रधानाचार्य और चिकित्सा अधीक्षक के ब्यौरे जिनमें उनके नाम, शैक्षिक योग्यता, दूरभाष और एस टी डी कोड, फ़ैक्स तथा ई-मेल आदि सहित पूरा पता शामिल है।

(ख) अध्यापन और गैर-अध्यापन स्टाफ।

(ग) भा.आ.प. द्वारा स्वीकृत की गई स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता के ब्यौरे।

(घ) वर्तमान और पिछले वर्ष के लिए मेरिट-वार, श्रेणी-वार (स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर) दाखिल किए गए छात्रों की सूची।

(ङ) पिछले एक वर्ष के दौरान कोई अनुसंधान प्रकाशन।

- (च) संस्थान द्वारा चलाए गए कोई सीएमई कार्यक्रमों, सम्मेलनों और/या किसी अकादमिक क्रियाकलाप के ब्यौरे ।
- (छ) छात्रों या संकाय सदस्य द्वारा प्राप्त किए गए किन्हीं पुरस्कारों और उपलब्धियों के ब्यौरे ।
- (ज) सम्बद्ध विश्वविद्यालय और उसके कुलपति तथा रजिस्ट्रारों के ब्यौरे ।
- (झ) पिछले एक वर्ष की सभी परीक्षाओं के परिणाम ।
- (ञ) सभी पाठ्यक्रमों की मान्यता की विस्तृत स्थिति ।
- (ट) अस्पताल में नैदानिक सामग्री के ब्यौरे ।

6. (i) खण्ड ख.2.1 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

'प्रत्येक वार्ड में निम्नलिखित स्थान उपलब्ध कराया जाएगा:

1. किसी जनरल वार्ड में अधिक से अधिक 30 मरीज होंगे और दो बिस्तरों के बीच कम से कम फासला 1.5 मीटर का होगा ।
2. नर्सों का ड्यूटी रूम/नर्सिंग स्टेशन ।
3. वार्ड का निर्माण इस तरीके से किया जाना चाहिए कि नर्स अपने नर्सिंग स्टेशन से वार्ड के सभी मरीजों का पर्यावलोकन कर सकें ।
4. जांच और उपचार कक्ष ।
5. वार्ड का रसोई-भंडार ।
6. छलटी और अन्य उपकरणों के लिए भंडार कक्ष ।
7. आवासीय डाक्टरों और छात्रों का ड्यूटी रूम ।
8. नैदानिक प्रलेखन कक्ष ।

(ii) खण्ड ख.2.2 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

1. विभागाध्यक्षों और इकाई प्रमुखों के लिए स्थान ।
2. इकाई के अन्य स्टाफ के लिए स्थान ।

3. नैदानिक प्रदर्शन कक्ष (प्रत्येक विभाग के लिए कम से कम एक) ।
4. विलोप किया गया ।

टिप्पणी: स्टाफ रूमों का आकार और संख्या, किसी विभाग में स्टाफ के सदस्यों की निर्धारित संख्या के लिए 'प्रि और पारा' नैदानिक विभागों में दिए गए निर्देशों के अनुसार होगी ।'

(iii) खण्ड ख.2.3 का विलोप किया जाएगा ।

(iv) खण्ड ख.2.4 में क्रम संख्या (2) पर 'तैयारी कक्ष' को 'संवेदनाहरण-पूर्व/तैयारी कक्ष - कम-से-कम 4 बिस्तर' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और क्रम संख्या 14 पर पैरा (1 तथा 2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

'इस प्रकार की दो इकाइयाँ जनरल सर्जरी के लिए उपलब्ध कराई जाए - एक ई. एन. टी. के लिए, एक विकलांग चिकित्सा के लिए, एक नेत्र-चिकित्सा के लिए और एक प्रसूति एवं स्त्रीरोग के लिए तथा एक विषाक्त रोगियों के लिए ।

शल्य चिकित्सा संबंधी अन्य विशेषज्ञता वाली इकाइयों में स्वतंत्र अलग आपरेशन थिएटर होगा ।

विभिन्न एंडोस्कोपी प्रक्रियाओं के लिए अतिरिक्त स्थान उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है ।

माइनर आपरेशन थिएटर - उपरोक्त के अलावा, आकस्मिकता/आपातकाल इकाई शल्य चिकित्सा विभागों के लिए एक माइनर आपरेशन थिएटर और अंतरंग बाह्य रोगी विभाग में इसी प्रकार का आपरेशन थिएटर उपलब्ध कराया जाएगा ।'

(v) खण्ड ख.2.6 में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:

'धुलाई के उपकरण रखने के लिए परिसर में ही भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी । तथापि यह सेवाएं किसी एजेंसी को सौंपी जा सकती हैं, परंतु अस्पताल प्रशासक के समय पर्यवेक्षण में ।'

(vi) खण्ड ख.2.7 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

रेडियो-निदान विभाग

(1) रेडियो निदान विभाग का स्टाफ, बी ए आर सी की वैयक्तिकत मानीटरिंग प्रणाली के अंतर्गत कवर होगा।

निम्नलिखित के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाएगा, नामतः:

- क. 300 एम ए, 500 एम ए 600 एम ए के लिए कमरा, आई आई टी वी प्रणाली, फ्लूरोस्कोपी प्रणाली (36 वर्ग मीटर)
- ख. अल्ट्रासाउंड कक्ष (15 वर्ग मीटर)
- ग. 60 एम ए मोबाइल एक्सरे प्रणाली के लिए कमरा (15 वर्ग मीटर)
- घ. सी टी स्कैन प्रणाली के लिए स्थान। इसमें तीन उपकरण कमरे होंगे (जाँच कक्ष, नियंत्रण कक्ष और कंप्यूटर कक्ष)। इसके अलावा, इलैक्ट्रिकल पैनलों, यू पी एस और सर्वो स्टेबीलिटाइजर के लिए सेवा कक्ष उपलब्ध कराए जाएंगे। कुल अपेक्षित क्षेत्र 80 वर्ग मीटर होगा।
- ड. वरियत: एक मेगनेटिक रिसोनेंस इमेजिंग (एम आर आई) प्रणाली होगी। स्थान की आवश्यकता, मानक विनिर्देशनों के अनुसार होगी।
- च. एक्सरे फिल्मों और संबंधित सामग्री के लिए भंडार कक्ष (15 वर्ग मीटर)
- छ. संग्रहालय (25 वर्ग मीटर)
- ज. मरीजों के लिए प्रतीक्षा कक्ष, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, एसोसिएट प्रोफेसरों, सहायक प्रोफेसरों, आवासी डाक्टरों, ट्यूटर्स के लिए स्टाफ रूम, आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे।
- झ. प्रदर्शन कक्ष के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।

2. विभिन्न नैदानिक प्रतिबिम्बन प्रणालियों के लिए कमरों के आकार अणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड सुरक्षा कोड के निम्नलिखित उपबंध के अनुसार होंगे, नामतः:

एक्सरे के उपकरण रखे जाने वाले कमरे का आकार, सामान्य उद्देश्य वाली एक्सरे मशीन के लिए 25 वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए। 125 के वी या इससे ऊपर प्रचालन किए जा रहे नैदानिक एक्सरे उपकरण के मामले में, नियंत्रण पैनल की स्थापना बाहर स्थित अलग नियंत्रण कक्ष में की जानी चाहिए, परंतु यह एक्सरे कक्ष के पास ही होना चाहिए। फ्लूरोस्कोपी उपकरण रखे जाने वाले कमरों का डिजाइन

इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि जब कभी आवश्यकता हो, पर्याप्त अंधेरा आसानी से प्राप्त किया जा सकता हो। मरीजों का प्रतीक्षा क्षेत्र, एक्सरे-कक्ष के बाहर उपलब्ध कराया जाना चाहिए और एक डार्क रूम उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(vii) खण्ड ख.2.8 में 'कराया जाएगा' शब्दों को 'कराया जाना चाहिए' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

7. खण्ड ख.8 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

'अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन

अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधाएं, राज्य विनियामक प्राधिकरणों आदि के अनुरूप उपलब्ध कराई जाएगी।'

8. खण्ड ख.9 का विलोप किया जाएगा।

9. (i) खण्ड ख.10.1 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

'यथा अपेक्षित 100 प्रतिशत वरिष्ठ आवासी डॉक्टरों और कनिष्ठ आवासी डॉक्टरों को कवर करने के लिए पर्याप्त संख्या में क्वार्टर्स होंगे।'

(ii) खण्ड ख.10.2 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

'नर्सों, अध्यापन और गैर-अध्यापन स्टाफ में से प्रत्येक श्रेणी में से कम से कम 20% को कवर करने के लिए पर्याप्त संख्या में क्वार्टर्स होंगे।'

10. खण्ड ख.11में, अनुसूची-II, उप-खण्ड संख्या 3 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

'इन विनियमों में स्नातक-पूर्व चिकित्सा शिक्षा की न्यूनतम शर्तें कवर की गई हैं। बाह्य रोगी विभाग, अंतरंग विभागों, आपरेशन थिएटरों और गहन चिकित्सा क्षेत्रों, जहां आपातकालिक मरीजों की देखभाल, नैदानिक प्रयोगशाला कार्य/फील्ड कार्य में कार्यभार बहुत अधिक है या विशेषज्ञता के स्वरूप का है, में अतिरिक्त अध्यापन और गैर-अध्यापन स्टाफ की आवश्यकता भी होगी।'

11. खण्ड ख.12 'छात्रों के लिए छात्रावास' को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

'कालेज/संस्थान में, एक निश्चित समय पर, छात्रों के कुल प्रवेश के कम-से-कम 75% का प्रावधान होना चाहिए। छात्रावास के प्रत्येक कमरे में तीन से अधिक छात्र नहीं होने चाहिए। ऐसे कमरे का आकार 27 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा। प्रत्येक छात्र को स्वतंत्र और अलग फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें कम-से-कम कुर्सी, मेज, चारपाई और पूरे आकार का कम बोर्ड शामिल है। सिंगल सीटेड कमरे के मामले में इसका क्षेत्र कम-से-कम 9 वर्ग मीटर होना चाहिए। प्रत्येक छात्रावास में एक आंगंतुक कक्ष, कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधाओं के साथ एक अध्ययन कक्ष होना चाहिए और यह वातानुकूलित होना चाहिए। मनोरंजन की सुविधाओं वाला एक कमरा होगा जिसमें टेलीविजन, संगीत, इनडोर खेल आदि होंगे और छात्रों के लिए भोजन की सुविधाएं होंगी।'

पाद टिप्पणी: प्रधान विनियमावली नामतः 'प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999' भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की दिनांक 30 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 35(1)/1998-मेड (ii) के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल, 1999 को भारत के गजट के भाग- III, धारा (4) में प्रकाशित की गई थी और इसे दिनांक 24 जून, 1999 के शुद्धिपत्र के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

लेफ्टि. क. (डॉ.) ए.आर.एन. सीतलवाड (से.नि.), सचिव

[विज्ञापन III/4/100/2008/असा.]

4101 GI/08-3

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2008

No. MCI-34(41)/2008-Med./29543.— In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956(102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the “Minimum Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999” namely:-

1. These regulations may be called the “Minimum Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations (Amendment), 2008”.
2. In the Minimum Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999, the following **additions / modifications / deletions / substitutions**, shall be as indicated therein:-
3. In clause 3, at S. No. (2) the words “INCLUDING BIOPHYSICS” **shall be deleted** and at S.No. (14), the words “INCLUDING PAEDIATRIC SURGERY” **shall be deleted**.
4. (i) In Schedule (I) Clause A.1.2 under the heading “Administrative Block”, the words “examination hall (300 Sq.m.)” **shall be deleted**, the words (30 Sq.m each,) **shall be substituted** by “(100 Sq.m. each)” and the words “(40-50 Sq. m.)” **shall be substituted** by “(200 Sq.m.)”.
- (ii) Clause A.1.4 under heading “Central Library”, **shall be substituted** as under:

“There shall preferably be air-conditioned Central Library (1600 Sq.m.) with seating arrangement for at least 200 students for reading and having good lighting and ventilation and space for stocking and display of books and journals. There shall be one room for 100 students inside and one room for 100 students outside. It should have not less than 7000 text and reference books. In a new medical college the total number of books should be proportionately divided on yearly basis in five years. The number of copies of textbooks in each subject of undergraduate teaching shall be ten. The number of journals shall be 100 out of which one-third shall be foreign journals and subscribed on continuous basis. e Journals membership should be encouraged. There shall also be provision for –

- a) Staff reading room for 20 persons;
- b) Rooms for librarian and other staff;
- c) Journal room;

- d) Room for copying facilities;
- e) Video and Cassette room;
- f) Air-conditioned Computer room with Medlar and Internet facility with minimum of 25 nodes."

(iii) Clause A.1.6 shall be substituted by the following:

"Auditorium/Examination Hall (Multi-purpose):

There shall be an auditorium-cum-examination hall of 800 sq.m. area in not more than three levels."

(iv) Clause A.1.9 shall be substituted by the following:

"Animal house:

Department animal house may be maintained by the department of Pharmacology. In addition to the animal house, experimental work on animals can be demonstrated by Computer Aided Education."

(v) Clause A.1.10 shall be substituted by the following:

"Incinerator

An incinerator Plant commensurate with hospital bed strength may be provided. Alternatively any other system approved by the respective State Pollution Control Board may be provided.

(vi) Clause A.1.11 shall be deleted.

(vii) Clause A.1.12 shall be deleted.

(viii) In Clause A.1.18, the following shall be added: "Arrangements must be made so that plumbers are available round the clock"

(ix) After Clause A.1.18, the following shall be added.

There shall be 6 laboratories (150 Sq.m.area each) which will be provided with continuous working tables. Every seat shall be provided with stainless steel wash basin. Every working table shall have drawer or steam proof top, and individual lighting. One preparation room each of 15 Sq.m. area shall be provided with all the laboratories.

There shall be two laboratories of 60 Sq.m. area each.

All of these laboratories may be used in common with various departments e.g. Histology and Histopathology; Biochemistry and Clinical Pharmacology; Heamatology and Pathology; Microbiology and Community Medicine.

5. (i) In Clause B.1.2 after the words "space for visitors", the following shall be added: "alongwith computer and internet facility in each department"

(ii) In Clause B.1.3 after the words "in the hospital", the following shall be added "in addition to those in medical college/institution."

(iii) In Clause B.1.6, the words "Jr. Residents, Senior Residents, Registrars etc." shall be substituted by "Jr. Residents and Senior Residents etc."

(iv) Clause B.1.7 shall be substituted by the following:

"There shall be a minimum OPD attendance of 4 patients (old & new) per day per student intake of the subjects of Undergraduate curriculum at the time of Letter of Permission. This should be increased in such a manner that at the end of fourth year it comes to 8 patients (old & new) per day per student intake."

(v) After Clause B.1.9, the following shall be added:-

B.1.10: Dean, Medical Superintendent and each department shall have independent computer and printer facility.

B.1.11: Each and every college /institute shall have its own website wherein the following details updated in the first week of every month shall be provided:-

- a. Details of Dean, Principal and Medical Supdt. including their name, qualification complete address with telephone and STD code, fax and E-mail etc.
- b. Teaching as well as non-teaching staff.
- c. Details of the sanctioned intake capacity of various courses UG as well as PGs by the MCI.
- d. List of students admitted merit-wise category-wise (UG & PG) for the current and previous year.
- e. Any research publications during the last one year.
- f. Details of any CME programmes, conferences and/or any academic activities conducted by the institution.
- g. Details of any awards and achievement received by the students or faculty.
- h. Details of the affiliated university and its Vice-Chancellor and Registrars.
- i. Result of all the examinations of last one year.
- j. Detailed status of recognition of all the courses.
- k. Details of clinical material in the hospital.

6 (i) Clause B.2.1 shall be substituted by the following:

"The following accommodation shall be available with each ward, namely:.

1. Accommodation in a General Ward shall not exceed 30 patients and distance between the two beds shall not be less than 1.5m.,
2. Nurses Duty Room/Nursing Station.
3. Ward should be constructed in such a way that the Nurse from her Nursing Station is able to have an overview of all the patients in the wards.
4. Examination and Treatment room.
5. Ward Pantry.
6. Store room for linen and other equipment.
7. Resident Doctors and students Duty Room.
8. Clinical Demonstration Room.

(ii) Clause B.2.2 shall be substituted by the following:

1. Offices for Heads of Departments and Heads of Units.
2. Accommodation for other unit staff.
3. Clinical demonstration rooms (at least one for each department).
4. Deleted.

Note: The size and number of staff rooms shall be as per the guidelines in the pre and para clinical departments for the prescribed number of staff members in a department.

(iii) Clause B.2.3 shall be deleted.

(iv) In Clause B.2.4 at S.No. (2), "Preparation room" shall be substituted by "Pre-Anaesthetic/Preparation room - atleast 4 beds." and para (1 & 2) at S.No. 14 shall be substituted by "Two such units may be provided for General Surgery, one for ENT; one for Orthopaedics; one for Ophthalmology and one for Obstetrics and Gynaecology and one for septic cases".

Other surgical specialities shall have independent separate OT.

Additional space need to be provided for various Endoscopy procedures.

Minor Operation Theatre - one minor operation theatre in addition to above shall be provided for surgical departments in casualty/emergency unit and one such theatre in O.P.D.

(v) In Clause B.2.6 the following shall be added:

"The physical facilities for housing the laundry equipment shall be provided in the campus. However, services can be handed over the any agency but with overall supervision of Hospital Administrator".

(vi) Clause B.2.7 shall be substituted by the following:

"DEPARTMENT OF RADIO-DIAGNOSIS:

(1) The staff of Radio-Diagnosis department shall be covered by Personal Monitoring System of BARC.

Accommodation shall be provided for the following namely:

- (a) Room for 300mA, 500mA, 600mA. I.I.T.V. System, Fluoroscopy System (36 sq.m.).
 - (b) Ultrasound Room (15 sq.m.)
 - (c) Room for 60 mA Mobile X-ray system (15 sq.m)
 - (d) Accommodation for CT Scan system. There shall be three equipment rooms, (examination room, control room, control room and computer room). In addition, a service room for Electrical Panels, UPS and Servo Stabilizer shall be provided. The total area requirement is 80 sq.m.
 - (e) There shall be preferable a Magnetic Resonance Imaging (MRI) system. The space requirement shall be according to the standard specifications.
 - (f) Store room for X-Ray films related material (15 sq.m)
 - (g) Museum (25 sq.m.)
 - (h) Waiting room for patient, enquiry office and staff rooms for Professor & HOD, Assoc. Profs., Asstt. Profs., Residents, Tutor shall be provided as per requirement.
 - (i) Accommodation for demonstration room shall be provided.
- (2) The room sizes for various Diagnostic Imaging Systems shall be as per the following provision of the Atomic Energy Regulatory Board Safety Code, namely:

“The room size of the room housing X-ray equipment must not be less than 25 Sq.m. for a general purpose X-Ray machine. In case of diagnostic X-Ray equipment operating at 125kV or above the control panel must be installed in separate control room located outside but contiguous to the X-Ray room. Rooms housing fluoroscopy equipment must be so designed that adequate darkness can be achieved conveniently when desired. Patient waiting areas must be provided outside the X-ray room and a dark room must be provided.

(vii) In Clause B.2.8, the word “should” be substituted by “shall”.

7. Clause B8 shall be substituted by the following:
“HOSPITAL WASTE MANAGEMENT
 Facilities for hospital waste management, commensurate with the State Regulatory Authorities etc. shall be provided.”
8. Clause B9 shall be deleted.

9. (i) **Clause B.10.1 shall be substituted by the following:**
 "There shall be sufficient number of quarters for covering 100 per cent of the total Sr. Residents and Jr. Residents as required."
- (ii) **Clause B.10.2 shall be substituted by the following:**
 "There shall be sufficient number of quarters for covering at least 20% each of the Nurses, teaching and non-teaching staff."
10. **In Clause B.11, Schedule – II, Sub-clause no. 3 shall be substituted by the following:**
 "These regulations cover the minimum requirements of under graduate medical education. Additional teaching and non-teaching staff shall also be required in OPD, Indoors, Operation theatres and Intensive Care areas where the work load involved in emergency patient care, clinical laboratory work/field work is heavy or is of a specialized nature"
11. **Clause B12 "HOSTELS FOR STUDENTS" shall be substituted by the following:-**
 "The College/Institution should have at least provision for 75% of the total intake of students at a given time. Each hostel room shall not have more than three occupants. The size of such room shall not be less than 27 sq.mt. Each student shall be provided with an independent and separate furniture which shall include chair, table, bed and full size cupboard at the least. In case of single seated room it should be at least 9 sq. mt. Area. Each hostel shall have a visitor room, a study room with facilities for computer and internet and should be air-conditioned. There shall be a recreational facility room having T.V., Music, Indoor games etc. and messing facilities for the students."

Foot Note : The Principal Regulations namely, "Minimum Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999" were published in Part – III, Section (4) of the Gazette of India on the 29th April, 1999, vide Medical Council of India Notification No. 35(1)/1998-Med.(ii) dated the 30th March, 1999 and amended vide corrigendum dated 24th June, 1999.

Lt. Col. (Retd.) Dr. A.R.N. SETALVAD, Secy.

[ADVT III/4/100/2008/Exty.]